प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला**:— ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना** :— प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....368/2022 **दिनांक** 17/9/2022
2. (A) **'अधिनियम**—पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें**— 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम** — ....**'धारायें** — ....
(C) **'अधिनियम**..................................**'धारायें**..................................
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**..................................
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**..........322.........**समय**.........6:20 P.M.
(ब) **अपराध घटने का दिन** :— शुक्रवार **दिनांक** :— 16.09.2022 **समय** :—06:48 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** : 16.09.2022 **समय** : 01:50 पीएम
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** — लिखित (हस्तलिखित)
5. **घटना स्थल**:—
(अ) **पुलिस थाना/चौकी से दिशा व दूरी**:— बजानिब पूर्व दिशा, लगभग 06 कि.मी.
(ब) **पता** :— कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा
जरायम देही संख्या......................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना — भीमगंजमण्डी **जिला** — कोटा शहर
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता** :—
(अ) **नामः**— श्री इमरान हुसैन
(ब) **पिता का नाम** — श्री अब्दुल गफ्फार
(स) **जन्म तिथी/ उम्र** :— 30 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता** :— भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**..................................**जारी होने की तिथी**.......
जारी होने की जगह..................................
(र) **व्यवसाय**— ठेकेदार
(ल) **पता** — म.नं. 40, देव नगर, चन्द्रेसल रोड़, काला तलाव, कोटा
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित** :—
श्री मुकेशचन्द जाटव पुत्र श्री कल्लाराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम रेवई पोस्ट महु तहसील हिण्डोन सिटी थाना हिण्डोन सिटी सदर, जिला करौली हाल निवास प्लॉट नं0 19—20, मधु नगर, सोगरिया, कोटा हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः**—.............................. शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**. :— 20,000 रूपये ....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..................................
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)** :—

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.09.2022 को समय 01:50 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार जाति देसवाली मुसलमाल उम्र 30 साल निवासी म.नं. 40, देव नगर, चन्द्रेसल रोड़, काला तलाव, कोटा मय सहपरिवादी श्री शरीफ खान पुत्र हिकमत अली जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी जे.के. पॉवर हाउस के सामने, सेंट टेरेसा स्कूल के पास कंसुआ कोटा के कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस एसीबी एसयू कोटा के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी श्री इमरान हुसैन ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मय कार्यालय सहायक मण्डल इंजी. (कार्य) कोटा का वर्क ऑर्डर क्रमांक सं. डब्लू 118/7/3/डब्लू/1(द्वितीय) दिनांक 07.09.2022 की स्वप्रमाणित फोटोप्रति सहित इस मजमून का पेश किया कि "मैं इमरान हुसैन पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार जाति देसवाली मुसलमाल उम्र 30 साल निवासी म.नं. 40, देव नगर, चन्द्रेसल रोड़, काला तलाव, कोटा का रहने वाला हूँ। मेरी एक फर्म हाडौती डीजिटल कोटा के नाम से है। मैने मेरी फर्म के माध्यम से रेलवे की खुली नीलामी में हरे पेडों की नीलामी में बोली लगाई थी। अधिकतम बोली मेरी फर्म की होने से नीलामी मेरी फर्म के नाम खुली थी। मेरी फर्म के नाम पर दिनांक 22.07.2022 को पहली नीलामी राशि 2,14,016 रूपये तथा दिनांक 07.09.2022 को दूसरी नीलामी 14,02,021 रूपये की खुली थी।

नीलामी हमारी फर्म के नाम खुलने से मैं व मेरा साथी शरीफ खान वहां पर पेडो की कटाई करने जाते है तो वहां मुकेश चन्द जाटव जो एस.एस.ई. द्वितीय आई.डब्लू. रेलवे वर्कशॉप कोटा के पद पर कार्यरत हैं, वो हमें परेशान करता हैं तथा कुल नीलामी राशि लगभग 16 लाख रूपये का 3 प्रतिशत राउण्ड फिगर में रकम 50,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग रहा हैं तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर पेडो को नहीं काटने देता व परेशान करता हैं। मैं 5000–5000 करके दो बार में 10,000 रूपये मुकेशचन्द को पहले दे चुका हूँ। अब मैं श्री मुकेश चन्द जाटव आई.डब्लू. को और रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी मुकेश चन्द जाटव आई.डब्लू. से कोई दुश्मनी नहीं हैं, ना ही कोई उधारी का लेन देन बाकी हैं, रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादीगण से पूछताछ करने पर परिवादी श्री इमरान हुसैन ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं परिवादीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरयाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से परिवादी श्री इमरान हुसैन एवं सहपरिवादी श्री शरीफ खान को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की प्रक्रिया समझाई गई तथा परिवादीगण का परिचय श्री दिलीप कुमार कानि. 401 से करवाया गया। परिवादी व सहपरिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा आरोपी से अपने कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता करने व आरोपी से होने वाली सारी वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की समझाईश की गई। सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री इमरान हुसैन को सुपुर्द किया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिब की गई। श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को आरोपी व परिवादी के बीच होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी यथासंभव निकट रहकर करने के निर्देश दिये गये। समय 02:45 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन को मय डिजीटल वॉईस रिकार्ड एवं सहपरिवादी श्री शरीफ खान को आरोपी श्री मुकेश चन्द जाटव एस.एस.ई. द्वितीय आई.डब्लू. से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रेलवे वर्कशॉप कोटा परिवादीगण की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। वार्ता की निगरानी हेतु श्री दिलीप कुमार कानि0 401 को परिवादीगण के साथ उनकी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। समय 04:15 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन, सहपरिवादी श्री शरीफ खान व श्री दिलीप कुमार कानि. 401 वापस कार्यालय आये। परिवादी श्री इमरान हुसैन ने अपने पास से डिजीटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि "मैं मेरे साथी शरीफ खान व श्री दिलीप कुमार कानि के साथ कार्यालय से रवाना होकर श्री मुकेशचन्द जाटव एस.एस.ई. के कार्यालय के पास पहुंचे। श्री मुकेशचन्द जाटव पेड़ों की कटाई स्थल केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास होना मालूम हुआ। फिर हम रवाना होकर केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास पहुंचे। श्री दिलीप कुमार कानि0 से डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर मैं मेरे साथी शरीफ खान के साथ केन्द्रीय विद्यालय से कुछ दूर पहले रोड़ पर खड़े हुये मुकेशचन्द जाटव के पास पहुंचा। श्री दिलीप कुमार कानि. थोड़ी दूर पहले ही रूक गये थे। मैं व शरीफ खान दोनों ने केन्द्रीय विद्यालय से थोड़ा पहले रोड़ पर खड़े हुये श्री मुकेशचन्द जाटव से हमारे कार्य के सम्बन्ध में बात की तो उन्होने हमसे मेरी फर्म के नाम हुई पेड़ कटाई नीलामी राशि लगभग 16 लाख रूपये का 3 प्रतिशत के हिसाब से राउण्ड फिगर में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा पूर्व में दिये हुये 10,000 रूपये स्वयं द्वारा प्राप्त करना बताते हुये शेष राशि की मांग की। हमारे निवेदन करने पर श्री मुकेशचन्द जाटव 20,000 रूपये आज ही लेने व शेष 20,000 रूपये बाद में लेने हेतु राजी हो गये है। इसके पश्चात् हम दोनों श्री दिलीप कुमार कानि. के पास पहुंचे तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर श्री दिलीप कुमार कानि0 से बन्द करवाकर रवाना होकर कार्यालय पर वापस आये हैं। हमारे बीच हुई सारी बातचीत आपके डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है।" श्री दिलीप कुमार कानि0 से पूछने पर कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि "केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास पहुंचकर समय 03:37 पीएम पर मैनें परिवादी को सुपुर्द किये हुये डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर परिवादीगण को केन्द्रीय विद्यालय की तरफ रवाना कर दिया था। परिवादीगण ने वहां केन्द्रीय विद्यालय से कुछ दूरी पहले ही रोड़ पर खड़े एक व्यक्ति से बातचीत की तथा उसके साथ केन्द्रीय विद्यालय की ओर जाते हुये बातचीत की। बाद बातचीत समय 03:57 पीएम पर परिवादीगण वापस मेरे पास आये। मैने परिवादी को सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द किया तथा रवाना होकर मैं मय परिवादीगण के कार्यालय वापस आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्ठि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादीगण से 20,000 रूपये रिश्वत राशि आज ही देने हेतु कहा गया है, इसलिए समय 04:30 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन को आरोपी को रिश्वत में दिये जाने

हेतु राशि 20,000 रूपये की व्यवस्था हेतु कहा गया तो परिवादी ने राशि बैंक ए.टी.एम. से निकालकर लेकर आने के लिए बताया। इस पर परिवादी को राशि 20,000 रूपये लेकर आने हेतु रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को श्रीमान उप निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा के नाम तहरीर देकर दो सरकारी कर्मचारी लाने हेतु रवाना किया गया। समय 04:55 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन कार्यालय हाजा वापस आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आरोपी को रिश्वत में दिये जाने हेतु राशि 20,000 रूपये ए.टी.एम. से निकालकर ले आया हूँ। इसी समय श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 रवानाशुदा मय दो सरकारी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा से साथ लेकर कार्यालय हाजा वापस आया। दोनों कर्मचारीगण से उनका परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम विशाल शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी 812 महावीर नगर द्वितीय कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा मोबाईल नं. 9414870175 होना बताया। दूसरे ने अपना नाम मोहन सिंह हाडा पुत्र श्री किशन सिंह हाडा जाति राजपुत उम्र 52 साल निवासी म.नं. 15/16, रिद्धी सिद्धी नगर, भदाणा, कोटा जंक्शन, कोटा हाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा मोबाईल नं. 9660249562 होना बताया। कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री इमरान हुसैन व सहपरिवादी श्री शरीफ खान से दोनों सरकारी कर्मचारियों श्री विशाल शर्मा व श्री मोहन सिंह हाड़ा का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री इमरान हुसैन द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र दोनो कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया तथा कार्यवाही के संक्षिप्त हालात से अवगत करवाते हुये होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनो कर्मचारियों ने अपनी–अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादीगण को रिश्वत राशि 20,000 रूपये लेकर तुरन्त उसके कार्यालय पर बुलाया गया है इसलिए समयाभाव होने के कारण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बाद में तैयार की जावेगी। समय 05:00 पीएम पर रूबरू गवाहान परिवादी श्री इमरान हुसैन पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति देसवाली मुसलमान उम्र 30 साल निवासी म.न. 40 देवनगर चन्द्रेसल रोड काला तालाब कोटा ने अपने पास से निकालकर 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट क्रमांक
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 NS 950960
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MW 728475
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DU 037031
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EE 940921
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 NL 280980
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 UK 107474
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EM 447518
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PE 705368
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 WN 762696
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FA 834793
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FA 834792
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KS 895912
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AP 415377
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 CB 606759
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 HG 017729
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QF 976474
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CC 778017
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 BK 205735
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 EH 928143
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 QG 021592
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BR 017320
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 FA 942918

23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KU 985094
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 US 640381
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FL 479393
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 LS 178144
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 EC 152202
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 FK 694659
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CP 001051
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UL 243917
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DT 295818
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 BK 210139
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AC 578824
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 GR 987618
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CD 963533
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 PQ 765801
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CA 044944
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EE 092950
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 FK 679095
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 KW 895890

उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चेक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। तत्पश्चात एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर श्री रामगोपाल हैड कानि0 108 से फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे। गवाह श्री विशाल शर्मा से परिवादी श्री इमरान हुसैन की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा स्वयं के मोबाईल के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु इत्यादि नही रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से सीधे ही परिवादी श्री इमरान हुसैन की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसको सभी हाजरीन ने देखकर अपरिवर्तित होना स्वीकारा। इस घोल में श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। परिवादीगण श्री इमरान हुसैन, श्री शरीफ खान व दोनों गवाहान श्री विशाल शर्मा, श्री मोहन सिंह हाडा को समझाया गया कि यदि आरोपी व्यक्ति उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि प्राप्त की है। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की किया प्रतिकिया को दृष्टान्त देकर परिवादीगण व गवाहान को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9982469615 पर मिस कॉल कर इशारा करें। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री रामगोपाल हैड कानि. से वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री रामगोपाल हैड कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ धुलवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी, दोनों गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबून व साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादीगण के आसपास नजदीक रहकर परिवादीगण एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को

यथासम्भव देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। श्री रामगोपाल हैड कानि0 को कार्यालय में ही रहने के निर्देश दिये गये। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से नियमानुसार तैयार की गई। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06:10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री इमरान हुसैन मय सहपरिवादी श्री शरीफ खान को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी के कार्यालय से कुछ दूरी पूर्व रूकने के निर्देश देकर रवाना किया गया। परिवादीगण के पीछे श्री किशनलाल उप निरीक्षक एवं श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को मोटरसाईकिल से, श्री अभिषेक कानि. 197 एवं गवाह श्री विशाल शर्मा को मोटरसाईकिल से, श्री लालचन्द कानि0 30 एवं गवाह श्री मोहन सिंह हाड़ा को मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्रीमति अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री बबलेश कानि0 261 मय सरकारी वाहन टवेरा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना हुआ। समय 06:29 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा से कुछ दूरी पूर्व पहुंचा। जहां पर परिवादीगण उपस्थित मिले। परिवादी श्री इमरान हुसैन को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर मय सहपरिवादी श्री शरीफ खान के मोटरसाईकिल से रिश्वत लेनदेन हेतु आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव के पास उसके कार्यालय य वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के आरोपी के कार्यालय के बाहर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया तथा परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की प्रतीक्षा में मुकिम हुआ। समय 06:48 पीएम पर परिवादी श्री इमरान हुसैन पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार जाति देसवाली मुसलमाल उम्र 30 साल निवासी म.नं. 40, देव नगर, चन्द्रेसल रोड़, काला तलाव, कोटा के साथी सहपरिवादी श्री शरीफ खान पुत्र श्री हिकमत अली जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी जे.के. पॉवर हाउस के सामने, सेंट टेरेसा स्कूल के पास कंसुआ कोटा ने कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के मेन गेट के बाहर आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल शर्मा, श्री मोहन सिंह हाडा एवं एसीबी जाप्ता श्रीमति अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि., श्री लालचन्द कानि., श्री बबलेश कुमार कानि., श्री अभिषेक कानि. के तुरन्त सहपरिवादी श्री शरीफ खान के पास पहुंचा तथा सहपरिवादी श्री शरीफ खान के साथ मेन गेट के पास ही थोड़ा अन्दर दाहिनी तरफ कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य (द्वितीय) कोटा के सामने लगे टीनशेड के नीचे परिवादी श्री इमरान हुसैन के पास पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री इमरान हुसैन ने टीन शेड के नीचे उसके पास में खड़े हुये हल्की आसमानी रंग की शर्ट व ग्रे रंग की पेन्ट पहने हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि "यह ही श्री मुकेशचन्द जाटव एस.एस.ई. है जिसने मुझसे मेरी फर्म के नाम खुली पेड़ कटाई की नीलामी के आदेश होने के उपरान्त भी परेशान कर पेड़ नहीं काटने दिये व अब पेड़ काटने पर परेशान नहीं करने की एवज में अभी अभी 20,000 रूपये टीनशेड के नीचे रखी टेबल के उपर रखी इनकी काले रंग की डायरी में रखवाकर प्राप्त किये है।" इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत करवाते हुये उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मुकेशचन्द जाटव पुत्र श्री कल्लाराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम रेवई पोस्ट महु तहसील हिण्डोन सिटी थाना हिण्डोन सिटी सदर, जिला करौली हाल निवास प्लॉट नं0 19–20, मधु नगर, सोगरिया, कोटा हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा होना बताया। चूंकि आरोपी ने परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये अपने हाथ में नहीं लेकर टेबल पर रखी अपने काले रंग की डायरी में रखवाई है, इसलिए उक्त टेबल पर रखी हुई काले रंग की डायरी को गवाह श्री विशाल शर्मा से दिखवाया तो डायरी के उपरी कवर व प्रथम पृष्ठ के बीच में 500–500 रूपये के नोट रखे हुये दिखे। इस पर आरोपी की उक्त डायरी को पुनः उसी स्थिति में बन्द करवाकर श्री विशाल शर्मा के पास सुरक्षित रखवाई गई। घटनास्थल श्री मुकेशचन्द जाटव के कार्यालय के बाहर टीनशेड के नीचे कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त स्थान नहीं होने, कार्यालय के अन्य कर्मचारीगण एवं आरोपी के मिलने वालों द्वारा कार्यवाही में व्यवधान डालने की पूर्ण आशंका के मध्येनजर रखते हुये उपयुक्त स्थान थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर पहुंचने हेतु आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव को कार्यालय के सरकारी वाहन टवेरा में बीच वाली सीट पर श्री किशनलाल

उप निरीक्षक एवं श्रीमति अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक के मध्य में बैठाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के साथ लाये वाहनों से रवाना होकर समय 07:05 पीएम पर थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर पहुंचा। निर्देशानुसार परिवादीगण भी थाना भीमगंजमण्डी पहुंचे। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थाना भीमगंजमण्डी के थानाधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक से एसीबी की कार्यवाही थाना भीमगंजमण्डी में करने हेतु सहमति चाहने एवं कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा थाने में बने अनुसंधान कक्ष को उपलब्ध करवाया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मय आरोपी, परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के थाना भीमगंजमण्डी के अनुसंधान कक्ष में पहुंचकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री मुकेशचन्द को उक्त कक्ष में एक कुर्सी पर आराम से बैठाया गया। श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर से परिवादी श्री इमरान हुसैन से ली गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये के बारे में पूछा तो श्री मुकेशचन्द जाटव ने बताया कि "मैनें इमरान हुसैन से कोई रूपये पैसे की मांग नहीं की और ना ही कोई रूपये प्राप्त किये है। मैं तो अभी मेरे कार्यालय का लॉक लगा रहा था, इसने पीछे से टेबल पर रखी मेरी डायरी में पैसे रख दिये हों तो मुझे पता नहीं है। मैने तो इमरान हुसैन को पेड़ कटाई के रजिस्टरों पर हस्ताक्षर करने एवं कटी हुई लकड़ी को ले जाने वाली गाड़ी का गेट पास पत्र प्राप्त करने के लिए बुलाया था। इसके अलावा मेरी इमरान से अभी व इससे पूर्व रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं हुई है।" इस पर पास ही खड़े परिवादी श्री इमरान हुसैन ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि "मेरी एक फर्म हाडौती डीजिटल कोटा के नाम से है। मैने मेरी फर्म के माध्यम से रेलवे की खुली नीलामी में हरे पेडों की नीलामी में बोली लगाई थी। अधिकतम बोली मेरी फर्म की होने से नीलामी मेरी फर्म के नाम खुली थी। मेरी फर्म के नाम पर दिनांक 22.07.2022 को पहली नीलामी राशि 2,14,016 रूपये तथा दिनांक 07.09.2022 को दूसरी नीलामी 14,02,021 रूपये की खुली थी। मैं व मेरा साथी शरीफ खान पेडो की कटाई के लिए कटाई के स्थान केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा पर पेड़ काटने जाते हैं तो ये मुकेश चन्द जी जाटव हमें रोड़ पर गाड़ी खड़ी करने, नाली तोड़ देने, बिना इनकी परमिशन पेड़ काटने, गलत पेड़ काट लेने की कहकर आदि उलाहने देकर अनावश्यक परेशान करते हैं तथा पेड़ कटाई में कोई व्यवधान नहीं डालने की एवज में कुल नीलामी राशि लगभग 16 लाख रूपये का 3 प्रतिशत व राउण्ड फिगर में रकम 50,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग रहे थे तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर पेडो को नहीं काटने देते थे व परेशान करते थे। इसलिए परेशान होकर मैं 5000–5000 रूपये करके दो बार में इनको 10,000 रूपये पहले दे चुका हूँ। यह शेष राशि की मांग कर रहे थे इसलिए मैनें आज दिनांक 16.09.2022 को आपके कार्यालय में आकर आपको शिकायत पेश की थी। इसके बाद आपके निर्देशानुसार मैं मेरे साथी शरीफ खान व आपके कार्यालय के श्री दिलीप कुमार कानि. के साथ आप द्वारा दिया हुआ सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु इन मुकेशचन्द जी के बताये अनुसार पेड़ कटाई स्थल केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास पहुंचा तो मुकेशचन्द जी वहीं खड़े मिले, जिनसे मैने व मेरे साथी शरीफ खान ने मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात की तो इन्होने हमसे मेरी नीलामी राशि लगभग 16 लाख रूपये का 3 प्रतिशत के हिसाब से राउण्ड फिगर में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा पूर्व में दिये हुये 10,000 रूपये स्वयं द्वारा प्राप्त करना बताते हुये शेष राशि की मांग की। हमारे निवेदन करने पर ये मुकेशचन्द जी 20,000 रूपये आज ही लेने व शेष 20,000 रूपये बाद में लेने हेतु राजी हुये थे। हमारे बीच हुई सारी बातचीत आपके डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई थी। इनकी मांग अनुसार मैं व मेरा साथी शरीफ खान रिश्वत राशि देने हेतु इनके कार्यालय में आये तो इन्होने मुझे लकड़ी की गाड़ी का गेट पास दिया तथा रिश्वत राशि 20,000 रूपये कार्यालय के आगे लगे हुये टीनशेड के नीचे रखी टेबल के उपर रखी अपनी काले रंग की डायरी में रखने हेतु कहा, इस पर मैने रिश्वत राशि 20,000 रूपये इनके कहेअनुसार इनकी डायरी में रखे थे। इसके बाद मेरे साथी शरीफ खान ने कार्यालय के बाहर जाकर आपको ईशारा कर दिया था। जिसके तुरन्त बाद आप मय टीम के मेरे पास आ गये। रिश्वत लेनदेन के वक्त इनके व हमारे बीच हुई समस्त बातचीत को मैने सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था।" गवाह श्री विशाल शर्मा के पास सुरक्षित रखवाई गई आरोपी की काले रंग की डायरी को खुलवाकर देखा गया तो डायरी के उपरी काले रंग के कवर के नीचे प्रथम पृष्ठ जिस पर नीचे अंग्रेजी मे M.C. Jatav लिखा हुआ है, काले रंग के कवर व उक्त प्रथम पृष्ठ के बीच में 500–500 रूपये के नोट रखे हुये दिखे। रिश्वत राशि के नोटों को गवाह श्री विशाल शर्मा से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना बताया गया। तत्पश्चात् दूसरे गवाह श्री मोहन सिंह हाड़ा को कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के

नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहु होकर रिश्वती नोट होना पाया गया। बरामदशुदा भारतीय मुद्रा की रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट क्रमांक
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 NS 950960
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MW 728475
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DU 037031
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EE 940921
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 NL 280980
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 UK 107474
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EM 447518
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PE 705368
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 WN 762696
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FA 834793
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FA 834792
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KS 895912
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AP 415377
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 CB 606759
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 HG 017729
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QF 976474
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CC 778017
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 BK 205735
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 EH 928143
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 QG 021592
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BR 017320
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 FA 942918
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KU 985094
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 US 640381
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FL 479393
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 LS 178144
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 EC 152202
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 FK 694659
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CP 001051
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UL 243917
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DT 295818
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 BK 210139
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AC 578824
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 GR 987618
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CD 963533
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 PQ 765801
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CA 044944
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EE 092950
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 FK 679095
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 KW 895890

उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर गिलास में सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी उपस्थितों को

दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपिरिवर्तित होना बताया गया। रिश्वत राशि 20,000 रूपये आरोपी की काले रंग की डायरी के उपर के कवर व प्रथम पृष्ठ के मध्य से बरामद हुई है, इसलिए उक्त स्थान के धोवन हेतु एक रूई के फोहे से रिश्वत राशि 20,000 रूपये बरामदगी स्थल डायरी के उपर के कवर व प्रथम पृष्ठ के मध्य के स्थान को रगड़कर रूई के फोहे को उक्त गिलास के रंगहीन घोल में धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः D-1, D-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस रूई के फोहे से आरोपी की डायरी का धोवन लिया गया, उस रूई के फोहे को सु ाकर प्लास्टिक की थेली में रखकर प्लॉस्टिक की थेली को रूई के फोहे सहित कपड़े की सफेद थेली में रखवाकर सील्ड चिट मोहर कर मार्क–P अंकित कर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की काले रंग की डायरी के उपर के कवर के नीचे प्रथम पृष्ठ जिस पर आरोपी का नाम व पद अंकित है, के नीचे दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर सम्पूर्ण डायरी को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया, डायरी को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर कपड़े की थेली को सील्ड मोहर कर मार्क–D अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि उसकी काले रंग की डायरी में रखवाकर प्राप्त की गई है तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त नहीं कर अपनी डायरी में रखवाया है, इसलिए आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव के हाथ धुलाई की कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही की फर्द बरामदगी ि यमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10:30 पीएम पर आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा को रिकार्ड वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर उसकी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बन्ध में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नोटिस दिया गया तो आरोपी ने मूल नोटिस पर ही अपने प्रतिउत्तर में अपने हस्तलेख से अंकित किया कि "श्रीमानजी मैं मुकेशचन्द जाटव स्वयं इच्छा से मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ। प्रतिउत्तर पेश है।" नोटिसों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10:50 पीएम पर आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव पुत्र श्री कल्लाराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम रेवई पोस्ट महु तहसील हिण्डोन सिटी थाना हिण्डोन सिटी सदर, जिला करौली हाल निवास प्लॉट नं0 19–20, मधु नगर, सोगरिया, कोटा हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जर्ये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेअनुसार आरोपी के मित्र श्री नन्द कुमार निहालानी पुत्र श्री वासुदेव जाति सिंधी उम्र 59 साल निवासी लक्ष्मी निवास, तुल्लापुरा, कोटा जंक्शन, कोटा मोबाईल नम्बर 9414309516 को मौके पर उपस्थित आये हुये को दी गई। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री विशाल शर्मा से लिवाई गई तो अलावा पार्चजात पोशुदगी के एक मोबाईल व पर्स मिला। पर्स में विभागीय परिचय पत्र व तीन हजार रूपये नगद मिले। जो आरोपी के कहेअनुसार मोबाईल व पर्स मय नगद राशि व परिचय पत्र के उसके मित्र श्री नन्द कुमार निहालानी को सम्भलाये गये। अन्य कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11:15 पीएम पर सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री इ·ारान हुसैन, सहपरिवादी श्री शरीफ खान एवं आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के मध्य दिनांक 16.09.2022 को केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास हुई थी, उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बबलेश कुमार कानि. 261 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार की जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17.09.2022 को समय 01:30 एएम पर सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी श्री इमरान हुसैन, सहपरिवादी श्री शरीफ खान एवं आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के मध्य दिनांक 16.09.2022 को आरोपी के कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा में हुई थी, उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बबलेश कुमार कानि. 261 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार की जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:30 एएम

पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड (1) रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री इमरान हुसैन, सहपरिवादी श्री शरीफ खान एवं आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के मध्य दिनांक 16.09.2022 को केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास हुई थी (2) वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी श्री इमरान हुसैन, सहपरिवादी श्री शरीफ खान एवं आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के मध्य दिनांक 16.09.2022 को आरोपी के कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा में हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप से श्री बबलेश कुमार कानि0 261 के द्वारा कोपी–पेस्ट कर चार पेन ड्राइव तैयार करवाये गये। एक पेन ड्राइव वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं दूसरी पेन ड्राईव आरोपी के लिए व तीसरी पेन ड्राइव नमूना आवाज के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चौथी पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। फर्द डबिंग व जप्ति पेन ड्राईव मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03:55 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल शर्मा, श्री मोहन सिंह हाड़ा, एसीबी जाप्ता श्रीमति अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री लालचन्द कानि. 30, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि. 197 के मय बरामदशुदा रिश्वत राशि 20,000 रूपये का सफेद लिफाफा अनशील्ड, धोवन की शील्डशुदा शीशीयां मार्क D-1 व D-2 शील्डशुदा, रूई के फोहे का पेकिट शील्डशुदा मार्क–P, आरोपी की काले रंग की डायरी का शील्डशुदा पेकिट मार्क–D, 03 पेन ड्राईव की शील्डशुदा पृथक–पृथक थेली व एक अनशील्ड पेन ड्राईव मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स मय सरकारी वाहन ट्वेरा व साथ लाई हुई मोटरसाईकिलों से थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर से कार्यालय एसीबी एसयू कोटा हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री इमरान हुसैन व सहपरिवादी श्री शरीफ खान को प्रातः 08:00 बजे नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर थाना भीमगंजमण्डी से ही रूखसत किया गया। समय 04:10 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता मय बरामदशुदा रिश्वत राशि व जप्तशुदा आर्टिकल्स व अन्य सामग्री के कार्यालय हाजा पहुंचा। दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल शर्मा, श्री मोहन सिंह हाड़ा को प्रातः 08:00 बजे नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि 20,000 रूपये का सफेद लिफाफा अनशील्ड, धोवन की शील्डशुदा शीशीयां मार्क D-1 व D-2 शील्डशुदा, रूई के फोहे का पेकिट शील्डशुदा मार्क–P, आरोपी की काले रंग की डायरी का शील्डशुदा पेकिट मार्क–D, 03 पेन ड्राईव की शील्डशुदा पृथक–पृथक कपड़े की थेली व एक अनशील्ड पेन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री रामगोपाल नागर हैड कानि0 108 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री इमरान हुसैन की फर्म हाड़ोती डिजीटल कोटा को सहायक मण्डल इंजिनियर (कार्य.) कोटा के आदेश दिनांक 22.07.2022 व 07.09.2022 से एस.एस.ई. (कार्य.) द्वितीय कोटा के कार्यक्षैत्र में केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा के पास S&T ट्रेनिंग स्कूल के पास लगे सफेदे के पेड़ों की कटाई की नीलामी बोली अधिकतम होने से स्वीकृत की गई थी। उक्त स्थान श्री मुकेश चन्द जाटव एस.एस.ई. डब्ल्यू. के अधीन था। आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा द्वारा परिवादीगण श्री इमरान हुसैन व श्री शरीफ खान को परिवादी श्री इमरान हुसैन की फर्म हाडौती डिजीटल कोटा के नाम खुली पेड़ कटाई की नीलामी के पेड़ कटाई बिना परेशान किये करने देने की एवज में प्रथम नीलामी राशि 2,14,016 रूपये तथा दूसरी नीलामी राशि 14,02,021 लगभग 16 रूपये का 03 प्रतिशत राउण्ड फिगर में 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, परिवादी द्वारा दिनांक 16.09.2022 को शिकायत करने पर दिनांक 16.09.2022 को ही रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने पर दौराने सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से परिवादी के कार्य, पेड़ कटाई से सम्बन्धित वार्ता कर नीलामी राशि लगभग 16 लाख रूपये का 03 प्रतिशत के हिसाब से राउण्ड फिगर में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना, पूर्व में दिये हुये 10,000 रूपये स्वयं द्वारा प्राप्त करना स्वीकार करते हुये शेष राशि की मांग करना, परिवादी के निवेदन करने पर आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव 20,000 रूपये दिनांक 16.09.2022 को ही लेने व शेष 20,000 रूपये बाद में लेने हेतु सहमत होना, आरोपी की मांग अनुसार दिनांक 16.09.2022 को ही ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20,000 रूपये स्वयं की काले रंग की डायरी में रखवाकर प्राप्त किया जाना, रिश्वत राशि आरोपी की काले रंग की डायरी से बरामद होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की काले रंग की

डायरी के उपर के कवर व प्रथम पृष्ठ के बीच के स्थान के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव पुत्र श्री कल्लाराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम रेवई पोस्ट महु तहसील हिण्डोन सिटी थाना हिण्डोन सिटी सदर, जिला करौली हाल निवास प्लॉट नं0 19–20, मधु नगर, सोगरिया, कोटा हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) कोटा के विरुद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कत्ता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(धर्मवीर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट., कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव, हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर, कार्यालय वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय), कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 368/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17/9/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 3195-99 दिनांक 17.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल अभियंता(समन्वय), डीआरएम ऑफिस, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।